राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/242-I/2020-KSP

बीएसएनएल लिमिटेड के साथ दिनांक 08.01.2021 की सुनवाई में कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारीगणः-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री अरविंद वाडनेरकर, निदेशक, बीएसएनएल
3. श्री बी. के. पति, निदेशक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्रीमती स्मिता लूथरा, जीएम(रिक्रूटमेंट), बीएसएनएल
5. श्री ए. एम गुप्ता, जीएम(एसआर), बीएसएनएल
6. श्री जगदीश प्रसाद, जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएल
7. श्री रणवीर सिंह चौहान, डीजीएम, बीएसएनएल

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में जो डाटा दिया है उसमें क्या ओबीसी के ऐसे कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है जो अपनी स्वयं की मेरिट से अनारक्षित सीट पर नियुक्त हुए है?

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएलः- नहीं सर, इसमे ऑन मेरिट वाले नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- Please give this data on Affidavit.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- विभिन्न पदों पर ओबीसी की वैकेंसी कैरी फोर्वार्ड होने का कारण स्पष्ट करें।

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएलः- कैरी फोर्वार्ड इसलिये करते है क्योंकि वैकेंसी अनफील्ड रह जाती है और कैंडिडेटस भी नहीं मिलते है।

Smita Luthra

AWadnerkar

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आयोग जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां है जो वैंकेसी अनफील्ड रह जाती है और कैंडिडेटस नहीं मिलते?

जीएम(एसआर), बीएसएनएलः- सर, हम पूरे भारत में वैकेंसी का विज्ञापन निकालते है और कहीं भी भेदभाव नहीं है। ओबीसी को 3 साल के लिये उम्र में छूट मिलती है। एजूकेशन क्वालिफइकेशन में कोई छूट नहीं है, मार्क्स में उन्हें केवल 5% की छूट है। Vide-publicity भी करते है फिर भी कैंडिडेट नहीं मिलते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- बीएसएनएल से अनुमोदित रोस्टर की कॉपी मांगी गयी थी वह आपने प्रश्नावली के साथ क्यों नहीं भेजी?

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएलः- सर, हमसे मिस हो गया होगा हम भिजवादेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- 08.09.1993, 02.07.1997, 31.12.1997 कट-ऑफ डेट का रोस्टर व 2019-20 का अनुमोदित रोस्टर आयोग को प्रस्तुत करें।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- क्या संचार मंत्रालय के लाईसन ऑफिसर द्वारा प्रत्येक वर्ष बीएसएनएल के रोस्टर रजिस्टर का निरीक्षण किया जाता है, यदि हां तो संचार मंत्रालय के लाईसन ऑफिसर द्वारा आखिरी बार रोस्टर का निरीक्षण किस दिनांक को किया गया था, यह जानकारी आयोग को शपथ-पत्र पर दी जाएं।

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएलः- सर, मंत्रालय ने निरीक्षण नहीं किया ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- क्या मंत्रालय से कोई लाईसन ऑफिसर बीएसएनएल के रोस्टर का निरीक्षण करने के लिये नहीं आता है?

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/242-I/2020-KSP

बीएसएनएल के साथ दिनांक 19.08.2021 की सुनवाई में कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारीगणः-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री पी. के. पुरवार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल
5. श्री एम. के. विमल, निदेशक एवं संपर्क अधिकारी (ओबीसी), संचार मंत्रालय
6. श्री अरविंद वाडनेकर, निदेशक (मा.सं.वि.), बीएसएनएल
7. श्री जगदीश प्रसाद, महाप्रबंधक एवं मुख्य संपर्क अधिकारी(ओबीसी), बीएसएनएल
8. श्री आर. के. गोयल, पीजीएम (प्रशासनिक), बीएसएनएल
9. श्री ओ. एन. तिवारी, संयुक्त महाप्रबंधक, बीएसएनएल
10. श्री राजेश कुमार, शिकायतकर्ता

सुनवाई का विस्तृत विवरण-:

1. माननीय आयोग द्वारा शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार से पूछा गया कि आपकी क्या समस्या है जिसके जवाब में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि मुझे 180 दिन के लिये सिविल का चार्ज देना था लेकिन मुझे 170 दिन तक चार्ज नही दिया गया सिर्फ 10 दिन का चार्ज देकर हटा दिया गया। 170 दिन तक दूसरे अधिकारी को चार्ज दिया गया।
2. आयोग द्वारा निदेशक (मा.सं.वि.) से पूछा गया कि इसका जवाब आप बता दीजिये जिसके जवाब में निदेशक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि इनका कहना उचित नहीं है क्योंकि हमारे पास सीजीएम, ~~राजस्थान~~ BW Unit और सीजीएम बिहार से उत्तर आया हुआ है। आयोग द्वारा कहा गया कि इसकी प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

3. आयोग द्वारा पूछा गया कि Look after basis पर काम करने के लिये आपने जो चार्ज दिया है क्या उस रीजन में यह सिंगल ऑफिसर थे जिसके जवाब में शिकायतकर्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि जो रिपोर्ट पटना से आयी है वह कंप्लीट नहीं है। जिस समय श्री प्रकाश आदित्य जी वर्ष 2019 में रिलिव हो गये तब सिविल की पोस्ट खाली हो गयी। वहा पर श्री आलोक कुमार सिन्हा पटना में थे और श्री ए. के. झा मुज्जफरपुर में थे और चार्ज श्री आलोक कुमार सिन्हा को चार्ज मिलना चाहिये था। सितम्बर 2019 में मेरे नाम से सीजीएम के अप्रुवल से एक लुकआफटर आर्डर जारी हुआ कि श्री राजेश कुमार 180 दिन तक का चार्ज करेंगे।

4. माननीय आयोग को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल द्वारा बताया गया कि अगर कोई पोस्ट खाली होती है तो किसको चार्ज मिलना चाहिये, यह वहां का प्रशासनिक का कार्य है। किस एसई को चार्ज मिलना चाहिये यह सीनियरटी से नही होता है। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि चार्ज देने वाला कौन अधिकारी था जिसके जवाब में बताया गया कि श्री जी.सी. श्रीवास्तव, सीजीएम, बिहार। माननीय आयोग को निदेशक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया कि वहां पर सिर्फ 2 ही एसई रेगूलर थे, हेडक्वाटर में सिन्हा जी पोस्टेड थे और जो चार्ज खाली हुआ था वहा फील्ड का था। (शिकायकर्ता द्वारा आर्डर दिखाया गया।)

5. माननीय आयोग कहा गया कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साहब आप आयोग को शपथ पत्र पर लिखकर दीजिये कि श्री राजेश कुमार से संबंधित ऑर्डर का कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ इसके पीछे क्या कारण थे। आयोग को बताया जाये कि ओबीसी का संपर्क अधिकारी कौन है और उनका ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध करायें है जिसके जवाब में पीजीएम (प्रशासनिक),द्वारा बताया गया कि श्री सतीश नैन, जीएम ओबीसी के संपर्क अधिकारी है और उनका ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। आयोग द्वारा कहा गया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साहब आप आयोग को शपथ-पत्र पर

लिखकर दीजिये कि श्री राजेश कुमार को 170 दिन तक क्यों चार्ज नहीं दिया गया।

6. आयोग द्वारा पूछा गया कि सीवीओ बीएसएनएल के द्वारा इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट के विरोधाभास होने का क्या कारण है जिसके जवाब में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि मेरे पास महाप्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारियों की शिकायतें आती हैं, महाप्रबंधक और उनसे नीचे के अधिकारियों की शिकायते मेरे पास नहीं आती है। यह जो शिकायत आयी थी इसमें हमने इनवेस्टिगेशन आर्डर किया था और इन्वेस्टिगेशन का कार्य चल रहा है। आयोग द्वारा कहा गया है कि श्री राजेश कुमार की ओरिजनल फाइल आयोग को दिखायी जाये।

7. शिकायतकर्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि श्री जे.वी. सिंह ने यह लिखा है कि राजेश कुमार की जगह पर श्री एस. के. सिंह जो ओबीसी समुदाय से है को लाया जाये। कारपोरेट ऑफिस से पूछा जाये कि क्या कास्ट के आधार पर कोई प्रार्थना आयी है। वह इस बात को बताना चाहते है कि ओबीसी से हमे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके जवाब में निदेशक (मा.सं.वि.) द्वारा कहा गया कि कुछ ट्रांसफर कार्यशैली पर भी होते हैं। (बीएसएनएल के पत्र सं 1027/CEC-PTN/Admn.2016/118 दिनांक 18.03.2021 के बताया गया है कि **In fact, this representation reveals his malafide intention, negative attitude & his firm belief in caste and place of birth as well which has inculcated in himself due to his birth & bringing up in Bihar where such belief system is prevalent**.) आयोग द्वारा पूछा गया कि ऐसा लिखने वाले अधिकारी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे।

8. आयोग द्वारा पूछा गया कि बीएसएनएल द्वारा शार्टफॉल और बैकलाग की जानकारी क्यों नहीं दी गयी है जिसके जवाब में निदेशक (मा.स.वि.) द्वारा बताया गया कि हमने जानकारी दी है। आयोग द्वारा कहा गया कि आप बता दीजिये कि बीएसएनएल कितना शार्टफाल व बैकलाग है जिसके प्रतिउत्तर में निदेशक (मा. सं.वि.) द्वारा कहा गया कि मुझे जानकारी नहीं है। आयोग द्वारा

कहा गया कि निदेशक (मा.स.वि.) शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिये कि आपको शार्टफॉल और बैकलॉग की जानकारी नहीं है।

9. आयोग ने निदेशक एवं संपर्क अधिकारी (ओबीसी), संचार मंत्रालय से पूछा कि ओबीसी का संपर्क अधिकारी बनाने का डीओपीटी का क्या नियम है और किस रैंक के अधिकारी को संपर्क अधिकारी बनाना चाहिये और डीओपीटी के आर्डर की प्रतिलिपि आयोग को दी जाये। आयोग द्वारा पूछा गया कि आपने कितनी बार और अंतिम बार बीएसएनएल का रोस्टर रजिस्टर वेरिफाई कब किया है जिसके जवाब में निदेशक एवं संपर्क अधिकारी (ओबीसी), संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि हम अभी इस पर काम कर रहे है। जिसके जवाब में माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आप शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिये कि आप अभी रोस्टर रजिस्टर पर काम कर रहे हैं।

10. आयोग द्वारा पूछा गया कि आप संपर्क अधिकारी कब नियुक्त हुए जिसके जवाब में निदेशक एवं संपर्क अधिकारी (ओबीसी), संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि मैं वर्ष 2018 में संपर्क अधिकारी नियुक्त हुआ हूँ।

11. आयोग द्वारा कहा गया कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साहब आप हमे शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिये कि संचार मंत्रालय के संपर्क अधिकारी से अंतिम बार रोस्टर रजिस्टर कब वेरिफाई कराया गया था। माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि बीएसएनएल में कितने कर्मचारी कॉट्रेक्ट पर नियुक्त है उसकी जानकारी आयोग को उपलब्ध करायें। आयोग द्वारा कहा गया कि वर्ष 2018-19 का अनुमोदित रोस्टर रजिस्टर तथा वर्ष 2000 का रोस्टर रजिस्टर जो अमलगमेशन और रिकास्टिंग किया हुआ होगा वह आयोग को उपलब्ध कराया जाये। वर्ष 2020 का ओरिजनल रोस्टर रजिस्टर आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

12. आयोग द्वारा पूछा गया कि माडल रोस्टर में ओबीसी के लिये कौन कौन से बिन्दु निर्धारित है जिसके जवाब में निदेशक (मा.स.वि.) द्वारा बताया गया कि इसकी जानकारी नही है।

13. आयोग द्वारा पूछा गया कि बीएसएनएल में पिछले 2 साल में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और उनमें से ओबीसी की कितनी शिकायते हैं जिसके जवाब में निदेशक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि मैं कार्मिक विभाग में करीब 10 महीने पहले आया हूँ।

14. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि बीएसएनएल में किस वर्ष का रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध है जिसके जवाब में निदेशक(मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि जीटीओ, जेओ व जेई का रिक्रूटमेंट सर्किल लेवल पर होता है उनका रोस्टर रजिस्टर सर्किल लेवल पर बनता है। हमारे यहां ग्रुप 'ए' में 2 लेवल है जिन पर रिक्रूटमेंट होता है एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग है इसमें कोर्ट केस के कारण पिछले 21 वर्षो में कोई रिक्रूटमेंट नही हुआ है। डीजीएम लेवल पर 2 बार रिक्रूटमेंट हुआ है दोनों का रोस्टर रजिस्टर हमारे पास उपलब्ध है, हम दोनो दिखा सकते हैं। आयोग द्वारा कहा गया कि निदेशक (मा.सं.वि.) आप शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिये कि डीओपीटी की संबंधित मंत्रालय के संपर्क अधिकारी द्वारा रोस्टर रजिस्टर वेरिफाई करने की डीओटी की कोई गाईडलाइन नहीं है।

15. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राईजेज की गाइडलाइन आयोग को उपलब्ध करायी जाये और गार्ड फाइल की सत्यापित कापी और एनुअल कंप्लायेंस की कापी आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

16. आयोग द्वारा कहा गया कि पिछले 10 वर्षों की डीपीसी में ओबीसी मेंबर्स के नाम व उनके ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध कराये जाये तथा सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट भी आयोग को भेजी जाये।

17. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आप ओबीसी का प्रमाण पत्र कैसे चैक करते हैं और ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट क्या है जिसके जवाब में निदेशक (मा.स.वि.) द्वारा बताया गया कि ओबीसी क्रीमी-लेयर की 7 लाख रूपये वार्षिक आय की लिमिट है जिसके जवाब में आयोग द्वारा कहा गया कि आप शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिये कि ओबीसी क्रीमी-लेयर की वार्षिक आय की लिमिट 7 लाख रूपये है।

18. आयोग द्वारा कहा गया कि वर्ष 2000 का रोस्टर और पिछले 3 साल का रोस्टर रजिस्टर और शिकायतकर्ता के रिजोइंडर का जवाब शपथ-पत्र पर उपलब्ध करायें।

उपरोक्त सभी जानकारी 3 कार्यदिवस में आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

आर. के. गोयल 15.9.21

(श्री आर. के. गोयल)
पीजीएम (प्रशासनिक),
बीएसएनएल

J. 15.09.21

(श्री जगदीश प्रसाद)
महाप्रबंधक एवं संपर्क अधिकारी(ओबीसी),
बीएसएनएल

Wadnerkar 16.9.2021

(श्री अरविंद वाडनेकर)
निदेशक (मा.सं.वि.),
बीएसएनएल

मनीष विमल 21.09.21

(श्री एम. के. विमल)
निदेशक एवं संपर्क अधिकारी (ओबीसी),
संचार मंत्रालय

(श्री पी. के. पुरवार)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएलः-मंत्रालय से कोई नहीं आता। हमारे यहा का ही चीफ लाईसन ऑफिसर निरीक्षण करता है, हमारी सेल है वो ही निरीक्षण करती है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- यह जानकारी शपथ-पत्र पर आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- वर्ष 2001 से 2020 तक संचार मंत्रालय को भेजी गयी आरक्षण संबंधी एनुअल रिटर्न की सत्यापित प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध करायी जाएं।

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएलः- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- बीएसएनएल में हायर लेवल में जैसे जीएम है, एजीएम है, डीजीएम है कौन कौन से पद होते हैं?

जीएम,(एसआर), बीएसएनएलः- DoT में पहले ग्रुप 'A', ग्रुप 'B', ग्रुप 'C' होती थी। जब से पीएसयू बन गया है तो उसमें Executive and non-Executive होते है। तो Non-executive में Senior Superintendent आते है और Executive में JTO, SDE, AGM, DGM, JGM, AGM, GM, Sr. GM, Pr. GM, Ch. GM और Board of Director आते है जो स्केल 1 से स्केल 9 तक आते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- बीएसएनएल में सीजीएम कितने हैं और उसमें ओबीसी कितने है?

जीएम,(एचआर), बीएसएनएलः- सर, 22 सीजीएम हैं, किसी की भी ओबीसी कैटेगरी का डिक्लेयर नहीं है क्योंकि सभी रिजर्वेशन से पहले के रिक्रूटमेंट है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- प्री-प्रमोशनल और प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देने की डीओपीटी की गाइडलाइन है, तो बीएसएनएल क्यों नहीं देता है?

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएलः- सर, ओबीसी के लिये नहीं, एससी/एसटी के लिये है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आप शपथ-पत्र पर लिख कर आयोग को दीजिये कि ओबीसी के लिये प्री-रिक्रूटमेंट व प्री-प्रमोशनल ट्रेनिंग की डोओपीटी की गाइडलाइन नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-प्रश्न संख्या 18(c) के उत्तर में ओबीसी के चीफ लाईसन ऑफिसर की कैटेगरी व कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने के लिए कहा गया था अतः चीफ लाईसन ऑफिसर की कैटेगरी न बताने व कैटेगरी सर्टिफिकेट न लगाने का कारण स्पष्ट करें।

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएलः-सर ओबीसी के अलग से चीफ लाईसन ऑफिसर अप्वाईंट नहीं है, हमे मंत्रालय से निर्देश नहीं है। बीएसएनएल में जो लाईसन ऑफिसर एससी/एसटी के है वह ही ओबीसी का कार्यभार सभालते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- क्या ओबीसी का चीफ लाईसन ऑफिसर ओबीसी कैटेगरी का है?

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएलः- ओबीसी कैटेगरी का नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आप आयोग को शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिये कि मंत्रालय से आपको ओबीसी सेल बनाने और अलग से ओबीसी के चीफ लाईसन ऑफिसर बनाने का निर्देश प्राप्त नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः-प्रश्न संख्या 19 में सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड/सिलेक्शन कमेटी/डीपीसी में सम्मिलित ओबीसी के सदस्यों की जानकारी मांगी गयी थी, इस प्रश्न का उत्तर आयोग को शपथ-पत्र पर दिया जाए। तथा पिछले 3 वर्षो में प्रत्येक लेवल के रिक्रूटमेंट कमेटी व प्रमोशन की डीपीसी में सम्मिलित ओबीसी के सदस्यों के नाम व कैटेगरी शपथ-पत्र पर बतायी जाए तथा ओबीसी के सदस्यों के ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध करायी जाये।

जीएम,(एसआर), बीएसएनएलः- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- प्रश्न संख्या 21 के संदर्भ में बताया जाए कि क्या ओबीसी उम्मीदवारों का साक्षात्कार यूआर कैटेगरी के उम्मीदवारों से अलग दिनांक व समय पर किया जाता है। आपने जवाब दिया है कि सबका इंटरव्यू एक साथ किया जाता है।

जीएम(रिक्रूटमेंट), बीएसएनएलः- सर, 2017 में हमने सबका इंटरव्यू एक साथ किया था। हमारे संज्ञान में यह बात आ गयी है तो हम आगे भविष्य में ओबीसी को अलग से इंटरव्यू में बुलायेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आप इसका जवाब शपथ-पत्र पर आयोग को उपलब्ध कराईये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- बीएसएनएल की कुल कितनी सब्सिडियरीज कम्पनियां है?

जीएम,(एसआर), बीएसएनएलः- सर बीएसएनएल टावर नाम से एक कंपनी बनाई है जिसमें अभी बिजनेस शुरु नहीं किया है और इसमें कोई एम्प्लाई नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- **Whether CMD, BSNL affirms that he has complied all the rules and regulations, code and conduct and Ethics, rules of reservation and he has not violated any provision made for drafting and finalization of Annual Report of BSNL and its subsidiaries? Please reply this on Affidavit.**

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- **Whether separate registers/ roster registers shall be maintained for appointments made by direct recruitment and promotion?**

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- **Whether in case of promotion, separate registers / roster registers shall be maintained for each mode of promotion viz. limited competitive examination, selection, non-selection, etc.**

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether a common register / roster register shall be maintained for permanent appointments and temporary appointments likely to become permanent or to continue indefinitely.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether a separate register / roster register shall be maintained for purely temporary appointments of 45 days or more but which have no chance whatever of becoming permanent or continuing indefinitely.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether immediately after an appointment is made, the particulars of the person appointed shall be entered in the register / roster register in the appropriate columns and the entry signed by the appointing authority or by an officer authorized to do so.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether no gap shall be left in completing the register / roster register.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether the register / roster register shall be maintained in the form of a running account year after year

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether in case of cadres where reservation is given by rotation, fresh cycle of roster shall be started after completion of all the points in the roster.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- How many times group-wise post based roster register has been recasted between 08.09.1993 to 31.12.2018 by BSNL and its Subsidiaries.?

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether after every recruitment year, an account shall be noted at the end of the last entry of the year in the reservation register indicating representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and details of backlog reserved vacancies etc.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Please provide category-wise Mark Sheet of Interview for Promotion (DPC) along with CR details of applicants since 05 years.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आयोग को सभी जानकारी 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जाये।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री जगदीश प्रसाद)
जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर(ओबीसी), बीएसएनएल

(श्रीमती स्मिता लूथरा)
जीएम(रिक्रूटमेंट), बीएसएनएल

(श्री ए. एम गुप्ता)
जीएम(एसआर), बीएसएनएल

(श्री अरविंद वाडनेरकर)
निदेशक, बीएसएनएल

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग